

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]
No. 83]दिल्ली, बुध्दिवार, मई 22, 2008/ज्येष्ठ 1, 1930
DELHI, THURSDAY, MAY 22, 2008/JYAISTHA 1, 1930[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 55
[N.C.T.D.No. 55

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सामान्य प्रशासन विभाग

बाट एवं माप विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना

दिल्ली, 22 मई, 2008

दिल्ली, 22 मई, 2008

सं. फा. 5(13)/99-सा.प्र.वि./327—336.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या फा. 5(13)99-सा.प्र.वि./स्व.से./2844, दिनांक 29 जून, 2006 का आंशिक संशोधन करते हुए माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली श्री बंसी लाल मेहता को तुरन्त प्रभाव से स्वतंत्रता सेनानी राहत एवं स्मारक समिति, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली का अध्यक्ष सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. के. चुघ, उप-सचिव

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 22nd May, 2008

No. F. 5(13)/99/GAD/FF/327—336.—In partial modification to this department's notification No. F. 5(13)/99/GAD/FF/2844 dated 29th June, 2006 the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Bansi Lal Mehta as Chairman of Freedom Fighters' Relief and Memorial Committee, Government of National Capital Territory of Delhi, with immediate effect.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
S. K. CHUGH, Dy. Secy.

सं. फा. 8-III/डब्ल्यू एण्ड एम/ईएनएफ/2005/474.—दिल्ली बाट एवं माप मानक (प्रवर्तन) नियमावली, 1988 का पुनः संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप इस से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिये इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल केन्द्रीय सरकार के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात् बाट एवं माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (1985 का 54) की धारा 3 के खण्ड (ढ) के साथ पठित धारा 72 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना प्रस्तावित करते हैं और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना वाले दिल्ली राजपत्र की प्रतियां जिस तिथि को जनता को उपलब्ध होंगी उस तिथि से तीस दिन की अवधि बीतने के उपरांत उक्त प्रारूप पर इस संबंध में नियत तिथि तक प्राप्त होने वाली/वाले किन्हीं आपत्तियों या सुझावों के साथ विचार किया जाएगा।

इस संबंध में आपत्तियां या सुझाव नियंत्रक विधिक माप पद्धति, दिल्ली सरकार बाट एवं माप विभाग 'सी' ब्लाक, विकास भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली को भिजवाए जाएं।

प्रारूप नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को दिल्ली बाट एवं माप (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. अनुसूची 12 का संशोधन. — दिल्ली बाट एवं माप (प्रवर्तन) नियमावली, 1988 की अनुसूची 12 में मद 1(ड) के बाद निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

(च) उच्च क्षमता भार तोलने वाली मशीनों की जांच हेतु मानक बाट

परिमाण	अधिकतम अनुमत अनुपातिक त्रुटि के लिये उचित शुल्क	
	0.5/10000	3.3/10000
		1.7/10000
		1.0/10000
100 किलो ग्राम	75 रुपये	50 रुपये
200 किलो ग्राम	150 रुपये	100 रुपये
500 किलो ग्राम	300 रुपये	200 रुपये
1000 किलो ग्राम	750 रुपये	500 रुपये
2000 किलो ग्राम	1500 रुपये	1000 रुपये
5000 किलो ग्राम	3000 रुपये	2000 रुपये

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

डी. पी. द्विवेदी, नियंत्रक

WEIGHTS AND MEASURES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd May, 2008

No. F. 8-III/W&M/Enf. 2005/474.— The following draft of rules further to amend the Delhi Standards of Weights and Measures (Enforcement) Rules, 1988 which the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi proposes to make, after previous consultation with the Central Government, and in exercise of the powers conferred under Section 72 read with clause (n) of Section 3 of the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985, (54 of 1985) is hereby published for the

information of persons likely to be affected thereby, a notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Delhi Gazette containing this notification are made available to the public, together with any objections or suggestions that may be received in respect thereto by the stipulated period.

The objections and suggestions in this behalf should be addressed to the Controller, Legal Metrology, Govt. of NCT of Delhi, Weights and Measures Department, C-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Delhi Standards of Weights and Measures (Enforcement) (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of Schedule XII.**—In the Delhi Standard of Weights and Measures (Enforcement) Rules, 1988, in Schedule XII, in item 1 relating to "weights", after sub-item (e), the following sub-item shall be added, namely :—

(f) Standard Weights for testing of high capacity weighing machines

Denomination	Fees corresponding to Max. Permissible relative error	
	0.5/10000	3.3/10000
		1.7/10000
		1.0/10000
100 kg	Rs. 75	Rs. 50
200 kg	Rs. 150	Rs. 100
500 kg	Rs. 300	Rs. 200
1000 kg	Rs. 750	Rs. 500
2000 kg	Rs. 1500	Rs. 1000
5000 kg	Rs. 3000	Rs. 2000

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
D. P. DWIVEDI, Controller